



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 190]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 06, 2019/ज्येष्ठ 16, 1941

No. 190]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 06, 2019/JYAISTHA 16, 1941

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2019

मि. सं. 1-8/2019(डीईबी-I).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का तीसरा) की धारा 26 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 12 के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 में और संशोधन करते हुए निम्नवत विनियम बनाता है, नामतः—

1. लघु शीर्षक, अनुप्रयोग और प्रारंभ—

(1) इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) चतुर्थ संशोधन विनियम, 2019 कहा जाएगा।

(2) वे आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 के विनियम 1 के उप-विनियम (3) में निम्नवत परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः—

“बशर्ते कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आदेश द्वारा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जोकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 (1985 का 50वां) के तहत स्थापित एक विश्वविद्यालय है, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए इन विनियमों के लागू होने से छूट प्रदान कर सकता है।”

रजनीश जैन, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./92/19]

नोट : मूल विनियमों को दिनांक 23 जून, 2017 को मि. संख्या 2-4/2015 (डीईबी-III) के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III खंड-4, में प्रकाशित किया गया था और दिनांक 06 सितम्बर, 2018 को मि. संख्या 2-4/2018 (डीईबी-I) के माध्यम से अंतिम संशोधित किया गया था।

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th June, 2019

F. No. 1-8/2019 (DEB-I).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 26 read with clause (j) of section 12 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the University Grants Commission hereby makes the following regulations further to amend the University Grants Commission (Open and Distance Learning) Regulations, 2017, namely:-

1. Short title and commencement.-

- (1) These regulations may be called the University Grants Commission (Open and Distance Learning) Fourth Amendment Regulations, 2019.
- (2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the University Grants Commission (Open and Distance Learning) Regulations, 2017, - in regulation 1, in sub-regulation (3), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the University Grants Commission may, by order, exempt the Indira Gandhi National Open University, a university established under the Indira Gandhi National Open University Act, 1985 (50 of 1985), from the application of these regulations, considering the objectives of the said Act.”

RAJNISH JAIN, Secy.
ADVT.-III/4/Exty./92/19]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary Part-III, Section 4, dated the 23rd June, 2017 *vide* F. No. 2-4/2015 (DEB-III) and last amended *vide* F.No. 2-4/2018 (DEB-I), dated the 6th September, 2018.